

Entry

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (धनबाद)

जमावंदी रद्द अभिलेख दाद सं०- 179 / 2016-17

दाद का प्रकार :- डिंडार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 30(a) का तहत जमाव  
रद्द कार्रवाई से संबंधित।

19/7/16

आरखण्ड सुधार के अध्याय-2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सहित श्री अनुप  
सुखती निदेशक, गू-अर्जन्-रह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र  
सं०-3-आरखण्ड-निदि-119/85/2308/रा० दिनांक 03.05.1995 एवं सह-उद्धृत राजस्व  
विभागोंद परिपत्र सं० 314/रा० दिनांक 09.12.1998 ने निदेश निदेश के अनुपालन में  
नेरमजलता खास भूने-ली कायम की गयी जमावदों के जमाव रद्द की गई। जोर के  
क्रम में इन्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्राविधिक किया गया है कि निम्नलिखित  
विवरणी वही -

पौजा कावरा डाका नं० 42 ज.पं. 433 खेत का  
रकबा 0.50 एकड़ भूमि जो 138 अनायाद के  
(डारखण्ड) सरकार के सत की सरकार भूमि है, जिसकी जमावदी रद्द जमाव रद्द पत्र-  
जमावदी रद्द गोही लाल गोमी राम गोमी कावरा  
के नाम से किया है

19/7/16  
19/7/16  
19/7/16  
19/7/16  
19/7/16

इन्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जंच-सत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के  
विलुद्ध कायम जमावदी को संधि प्राविधिक किया गया है

इन्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जंच-सत उपर्युक्त विवरणी से प्रतीत होता है  
कि उपर्युक्त जमावदी बिना स्वयं प्राविधिकी के आदेश के/अथवा यत्नवस्ती के आधार  
पर/अथवा कोडकर यत्नवस्ती के आधार पर/अथवा समाज विभाग के आधार पर/रा०  
हुकुमानामा के आधार पर कायम की गई है, जिसके उद्देश्य जमाव रद्द एवं रद्द के प्रती  
कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की धारा-30(a) की सुविधा  
जमावदी अर्थात् प्रतीत होती है, जिसका डिंडार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा  
30(a) के तहत जंच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है

अतएव संबंधित जमावदी रद्द को नापिड किया जाए उपर्युक्त भू-खंड से संबंधित  
पूर दस्तावेजों/निर्मित समाज रसंद की नाम पर उपर्युक्त कायम प्रकृत करे, कि जंच  
उक्त जमावदी को अर्थात् मागसे हुए डिंडार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 30(a)  
के तहत स्वयं प्राविधिकी को रद्द करने हेतु अनुप रित किया जाए

अभिलेख दिनांक ..... का उपस्थापित करें।

संशोधित एवं सहायित

अंचल अधिकारी  
बलियापुर।

19/7/16  
अंचल अधिकारी  
बलियापुर।

118/16

अभिलेख अथवा प्रमाणपत्र विभागा गणा / जमानती  
संख्या के संज्ञा द्वारा जमानती के उपलब्ध  
दस्तावेज उपलब्ध नहीं है- संवर्धित जमानत  
संज्ञा व सं. 1982 की धारा 4(1) के अन्तर्गत  
दस्तावेजों का ल-कोलनी के सं. नं. 6(1)/70-वा  
की धारा 4(1) के अन्तर्गत जमानत गणा है, परंतु  
जमानत संज्ञा अद्यतन नहीं है।

अतः अश्वेत कार्डिबुल  
अभिलेख अथवा प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं, जमानत  
का सं. 7

16/10/16  
अंशुभा अश्वेत  
ललितापुर

कार्ड क्रमिक संख्या - 179

2016 (असम आयोग) अधिनियम 12, 1976

सूचना

नाम

श्री श्रीमाल गौरी, 160 रूपा गौरी  
साठ ज़ातरा

एतद्विना आयोग सूचना किया जाता है कि ज़ातरा ज़िला नं- 42  
आर. नं- 138, खसरा नं- 138, रकबा 0.50 वर्ग मीटर पर अधिभूत आयोग नाम नं  
ए. नं- 138 के अधीन- 12 भाग के अंतर्गत ज़ातरा ज़िले के प्रथम वर्ग का  
शतसहस्र क्रमांक नं प्रकृत निरोधक के माध्यम से अधिभूत आयोग अधिभूत किया है।

अतएव अद्य एतद्विना संख्या- 1/8/16 का संख्या- 138 का अधिभूत नं उक्त  
भूमि का अधिभूत- नं भूमि अधिभूत नं नं अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं  
रकबा, धर्म M एवं संख्या नं अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं  
रकबा अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं  
भूमि नं नं अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं  
दोकर अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं

सर्वे नं कि अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं  
नं अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं  
नं अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं अधिभूत नं

इस संकेत तारीख ज्ञान

श्री श्रीमाल गौरी

दिनांक -  
स्थान -

श्री श्रीमाल गौरी

काकी परण श्री हेन  
नॉटिस तबिना किना  
- श्री श्रीमाल गौरी